

नं. व. तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

12/12/25 पत्रांक नं. 12/12/25 / अतिरिक्तमाण .  
न्या. नं. 12/12/25 / P.O. 2  
मी. 12/12/25 / पत्रावली  
वास्तु 12/12/25 / 12/12/25  
को पेश हो।

12/12/25 पत्रा. पेश। समील पत्रा. उपर।  
मुलबात कनुमा। वास्तु पेश  
कोन delivery status कनुमा  
रिप काय 23/1/26 व पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डो

23/1/26 पत्रांक नं. 23/1/26 / अतिरिक्तमाण .  
न्या. नं. 23/1/26 / P.O. 2  
मी. 23/1/26 / पत्रावली  
वास्तु delivery status  
को पेश हो।

6/3/26 पत्रा. नली पेश। समील पत्रा. उपर।  
कनुमा व नली नली डरी  
डा.प. 21/1/26 व व समील  
कनुमा व कनुमा वाप। नली  
व नली नली व नली  
कनुमा 23/3/26 व पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डो

23/3/25 पत्रांक नं. 23/3/25 / अतिरिक्तमाण .  
न्या. नं. 23/3/25 / P.O. 2  
मी. 23/3/25 / पत्रावली  
वास्तु 23/3/25 / 23/3/25  
को पेश हो।

30/3/26 पत्रा. पेश।  
वादी द्वारा अपने पिता व पति  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डो

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहमदाबाद  
हुकम को  
में जा

के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी  
गई है। इनका दावा है कि  
प्रसरा न. 402 व 655 पैतृक  
आराजी है और इसमें इनका  
हिस्सा मिलित है। प्रति. आराजी  
का पूर्व-बुद्धि न करे इसलिये  
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है।

प्रसरा न. 402 पर स्वीकृत  
नामांतरण : 12/13/07/2019 बैचान  
अंकित है व 655 प्रसरा न.  
पर सद्वर्तमान पुष्पाबाई पत्नी  
सालगराम।

वादी यह प्रमाणित नहीं कर पाया  
है कि वादग्रस्त जमीन पुष्पेनी  
आराजी है। अतः वाद में  
अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा  
सकती।

प्राथमिक पत्र जारी किया जाता  
है।

फैसल सुमार दीवर दायित्व 1/1/12  
है।

Che  
उपखण्ड जज  
रामगंजमण्डी